(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1598–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–4–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 347/अपील/2013–14.

.....

महेश कुमार हसिजा
पिता श्री रहलूमल हसिजा
निवासी 114 काटजू कॉलोनी
इंदौर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश भोपाल म0प्र0

.....अनावेदक

श्री ए0अरोरा एवं श्री टी0टी0गुप्ता, अभिभाषकगण– आवेदक
श्री डी0के0शुक्ला, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 14/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–4–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बाग मुगलिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 233/1 रकबा 0.37 एकड़ भूमि उसके द्वारा नंदराम पुत्र हजारीलाल से कय की गई थी तथा उसका नामान्तरण भी हो गया था । उक्त भूमि अतिशेष घोषित होने के कारण शासन द्वारा कब्जा प्राप्त करते हुये लिपिकीय त्रुटि में से शब्द छूटा हुआ होने से पटवारी द्वारा शासकीय घोषित कर दी गई है, जबकि उक्त सर्वे नम्बर पूर्व से ही अतिशेष घोषित होने से ही कय की गई है, अतः आवेदक का नाम दर्ज किया जाये । सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा

भोपाल द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया । सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–4–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का गुणदोष पर निराकरण नहीं करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश भूमि सीमा अधिनियम रिपील एक्ट, 1999 की धारा 3(2)(बी) के प्रावधानों को आवेदक की भूमि के संबंध में लागू करने में विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को बिना सूचना दिये नामान्तरण पंजी पर पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 7–11–2011 विधि विरूद्ध होने से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही कहा गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि नंदराम ने अरबन लेण्ड सीलिंग प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लिया है जिसका अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख है । ऐसी स्थिति में नन्दराम को प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को विक्रय करने का अधिकार नहीं रह गया था । आवेदक की ओर से जो अन्य आदेश प्रस्तुत किये गये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे आदेश उनके द्वारा उक्त तथ्य को छिपाकर प्राप्त किये गये हैं । ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियाँ सही होने से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में सक्षम प्राधिकार

नगर भूमि सीमा भोपाल द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इसप्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–4–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर